राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

Email: - RAJSMSA.ASFE@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक – रास्कूलशिप/जय/वै.एवं औ.शि./ /2020–21/ 15633 दिनांक– 6/10/2020

1. **निदेशक, माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।**
2. **निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।**
3. **समस्त जिला कलेक्टर्स।**
4. **समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।**
5. **संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।**
6. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।**
7. **जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।**
8. **अति0 जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।**

विषय – ड्रॉप आउट–फ्री उजियारी पंचायत 2020–21 के आवेदन, भौतिक सत्यापन, घोषणा हेतु सतत् प्रक्रिया अपनायी जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – निर्देशों की पालना में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। प्रवेशोत्सव के दौरान ऐसी पंचायत जहां अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन किया जा चुका है। ऐसी पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित करने के लिये परिषद कार्यालय से दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।

वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण आवेदन, भौतिक सत्यापन, घोषणा, सम्मान प्रक्रिया को तिथिबद्ध ना करते हुये सत्र 2020–21 में आवेदित की जाने वाली पंचायतों को पंचायत / ब्लॉक / जिला स्तर पर उजियारी पंचायत के दिशा निर्देशानुसार समस्त प्रक्रिया को सतत् रूप से किया जाना है।

ब्लॉक स्तर पर आने वाले आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापित करवाते हुये जिला कार्यालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही जिला कार्यालय प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर तदनुरूप कार्यवाही करावें।

कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये सम्मान समारोह की तिथि समयानुसार निर्धारित करते हुये पृथक से प्रेषित की जायेगी।

Bal100

(डॉ0 भँवर लाल)

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

www.rajsevak.com

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/वैशि/2020–21/ 15633 दिनांक :– 6/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. रक्षित प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय